न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–161/2014–15

प्रथम पक्षः–दयानन्द तिवारी, ग्राम–उरूब, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–दशरथ गंझु, ग्राम–उरूब, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

1 2 3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी दयानन्द तिवारी एवं लालदेव तिवारी, साकिन–उरूब, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा के अपील आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष दशरथ गंझु, पे0–जयनाथ गंझु, साकिन–उरूब, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा है। अपील वाद से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
उरूब	16	03, 11, 18, 492, 496, 607, 611, 111, 112, 115, 118, 130, 132, 368, 383, 391, 409, 427, 438, 476, 478, 480, 485	8.79 एकड़

अपीलकर्त्ता ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि अंचल अधिकारी, सिमरिया ने दिनांक–21.05.2013 को प्रश्नगत भू–खण्ड के संदर्भ में गलत आदेश पारित कर अपीलकर्त्ता के पूर्वज मसो0 नेमा कुमारी के नाम से चल रही जमाबन्दी को बन्द कर दिया तथा विपक्षी के नाम से पंजी–2 में जमाबन्दी कर दिया। अपीलकर्त्ता की दादी नेमा कुमारी ने केवाला संख्या–599, दिनांक–15.03.1956 से श्रीमति तेतरी कुमारी, पति–गंदोरी साव, साकिन–जोरी, थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा से कुल–8.46 एकड़ भूमि खरीदी थी और उक्त भूमि का नामान्तरण भी अंचल कार्यालय, सिमरिया से कराया था। लगान रसीद निर्गत हो रहा था, परन्तु अंचल अधिकारी ने जमाबन्दी बन्द कर दिया। यह भी आगे कहा है कि तेतरी गंझु ने उक्त भूमि बक्सी मुसाफिर, पे0–बक्सी पुनित लाल, ग्राम–उरूब, थाना–सिमरिया से उक्त भूमि केवाला सं0–332, दिनांक–16.03.1951 से हासिल किया था और उसके बाद यह भूमि बिक्री किया गया था। अपीलकर्त्ता के कथनानुसार पारिवारिक बंटवारा में उक्त भूमि अपीलकर्त्ता दयानन्द तिवारी तथा लालदे तिवारी को मिला था। वह दखल–कब्जा में भी थे, लेकिन अंचल अधिकारी ने गलत आदेश पारित कर उन्हें बेदखल कर दिया है। इनके द्वारा लगी अवधि की जमाबन्दी बताकर अंचल अधिकारी के आदेश को निरस्त करने हेतु आग्रह किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

दूसरी ओर इस वाद की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय को यह बताया है कि विपक्षीगण ग्राम–उरूब, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा के निवासी है तथा सर्वे खतियानी रैयत बौधा गंझु, पिता–विगन गंझु के उतराधिकारी है। खाता नं0–16, कुल प्लॉट–23, रकबा–8.79 एकड़ भूमि की जमाबन्दी पंजी–2 में सुकरू गंझु, पिता–लोचन गंझु के नाम से कायम था, परन्तु अभी उनके चाचा के नाम से पंजी–2 में 2.21½ एकड़ भूमि की जमाबन्दी कायम रह गयी थी तथा अवशेष भूमि में से 4.39 एकड़ भूमि पंजी–2 में अपीलकर्त्ता के पूर्वज नीमा कुमारी, पति–बुटू तिवारी के नाम से गलत ढंग से कायम करा लिया गया था। विपक्षीगण की भूमि CNT Act के अन्तर्गत आता है। विपक्षी की भूमि जबरन गलत ढंग से हड़पने का जब प्रयास किया गया तो उन्होंने दिनांक–05.01.2013 को अंचल कार्यालय, सिमरिया में प्रार्थना यत्र दिया। उसके आवेदन पर अंचल कार्यालय में विविध वाद संख्या–138/2012–13 चलाया गया। अंचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से विधिवत जांच रिपोर्ट प्राप्त कर तथा सुनवाई कर सही आदेश पारित किया है, क्योंकि विपक्षी अनुसूचित जाति संवर्ग में आते हैं तथा उनकी भूमि को फर्जी केवाला बनाकर हड़प लिया गया था। विपक्षी का यह भी कहना है कि पूर्वजों के नाम से जमाबन्दी चल रही थी तथा लगातार ये लो दखल–कब्जा में भी रहें हैं। पंजी–2 में वगैर किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश का जमाबन्दी चल रहा था तथा CNT Act के प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन था, जिसके कारण अंचल अधिकारी, सिमरिया ने पूर्व की जमाबन्दी के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय दिया है। अपीलकर्त्ता के दावे को गलत एवं नियम विरूद्ध कहकर इन्होंने उनके अपील आवेदन को खारिज करने हेतु आग्रह किया है।

इस वाद की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा पारित किये गए आदेश का भी अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, सिमरिया ने विविध वाद संख्या–138/2012–13 के अन्तर्गत दिनांक–21.05.2013 को आदेश पारित किया है। पारित आदेश में यह उल्लिखित है कि प्रश्नगत भू–खण्ड CNT Act के अन्तर्गत आता है, क्योंकि इसके खतियानी रैयत बौधा गंझु हैं, जो अनुसूचित जाति सवंर्ग के अन्तर्गत आते हैं। दशरथ गंझु खतियानी रैयत के पोता हैं। प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत 2.21½ एकड़ भूमि की जमाबन्दी आवेदक के चाचा सुकर गंझु के नाम से पंजी–2 में चल रहा है, परन्तु 6.57½ एकड़ भूमि की जमाबन्दी पंजी–2 में अन्य रैयतों के नाम से किस आधार पर कायम हुआ, इसका पंजी–2 में उल्लेख नहीं है। केवालाधारी का केवाला CNT Act के प्रावधानों के विपरित मानकर तथा पंजी–2 के प्राधिकार कॉलम में सक्षम पदाधिकारी का आदेश उल्लिखित नहीं रहने के आधार पर अंचल अधिकारी ने पूर्व की जमाबन्दी को विलोपित कर 6.57½ एकड़ भूमि की जमाबन्दी दशरथ गंझु, पिता–जयनाथ गंझु के नाम से कायम करने का आदेश पारित किया।

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में अपीलकर्त्ता के लिखित कथन, विपक्षी के लिखित कथन तथा उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गए राजस्व कागजात तथा अंचल अधिकारी, सिमरिया के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता के द्वारा केवाला के आधार पर अपना दावा किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पक्ष खतियानी भूमि के आधार पर अपना दावा कर रहें हैं। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्षी अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं तथा उनकी खतियानी भूमि का अंतरण CNT Act के प्रावधानों के विपरित नहीं हो सकता है। अपीलकर्त्ता सामान्य जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा विपक्षी की खतियानी भूमि CNT Act के प्रावधानों के विपरित जाकर वह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक पंजी–2 में जमाबन्दी चलने का प्रश्न है, अंचल अधिकारी ने स्वयं अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि पंजी–2 में जमाबन्दी चलने का कोई आधार नहीं है और न हीं पंजी–2 के प्राधिकार कॉलम में कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश का वर्णन है। अपीलकर्त्ता चूँकि केवाला के आधार पर अपना दावा करते हैं, जिसकी वैधता को लेकर उन्हें व्यवहार न्यायालय के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नगत भू–खण्ड का मामला CNT Act के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है तथा वगैर सक्षम न्यायालय के आदेश का अपीलकर्त्ता के नाम से जमाबन्दी कायम नहीं किया जा सकता है। वर्णित स्थिति में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को निरस्त किया जाता है। अपीलकर्त्ता केवाला की वैद्यता को लेकर सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

12/6/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

12/6/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 15:35:32 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner